प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021

# न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प थैलासर
## पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 15/2022 दिनांकः– 05.01.2022

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम मूलाराम आदि

–: आदेश :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत श्योपुरा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम श्योपुरा तहसील चूरू के खसरा नम्बर 38, 41, 44, 970/51, 52, 55, 65, 66, 182/67 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि रोही ग्राम श्योपुरा तहसील चूरू के खसरा नम्बर 38, 41, 44, 970/51, 52, 55, 65, 66, 182/67 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' में वर्णितानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। रास्ते में अंकित की जाने वाली भूमि के खसरा नम्बर पृथक् से कायम किये जाकर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज कर सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रखी जाने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:20:21 IST
Reason: SelfAttested

05/01/22
( राहुल सैनी )
भू–अभिलेख अधिकारी,
चूरू